प्रेस विज्ञप्ति

28/10/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर उप आँचलिक कार्यालय ने 24.10.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उनके प्रमोटरों/निदेशकों मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 503.16 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर, विभिन्न भू-संपत्तियां और भवन शामिल हैं, जो मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और मनोज कुमार जायसवाल व अन्य के परिवार के सदस्यों के अलावा विभिन्न फर्जी कंपनियों के नाम पर अर्जित की गई हैं।

ईडी ने सीबीआई द्वारा मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। शिकायतकर्ता, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने ऋण प्राप्त करने के लिए हेरफेर की गई परियोजना लागत विवरण प्रस्तुत किए थे और बैंक के धन को भी डायवर्ट किया था, जिससे 4,037 करोड़ रुपये (ब्याज सहित 11,379 करोड़ रुपये) का गलत नुकसान हुआ।

इस मामले में पहले, ईडी ने नागपुर, कोलकाता और विशाखापत्तनम में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और विभिन्न

आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे और 223.33 करोड़ रुपये मूल्य के सूचीबद्ध शेयर और प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, सावधि जमा और बैंक बैलेंस सहित अपराध की आय को फ्रीज कर दिया था और 55.85 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की थी।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।